निर्णय न्यायालय श्री हीरालाल वर्मा आर ए एस
उप खण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 5/18 दावा
दायरा दिनांक :- 11.1.18
निर्णय दिनांक :- 4.9.18

उनवान

1. बीरमचन्द पुत्र पानाचन्द
2. बृजमोहन पुत्र पानाचन्द
3. तुलसीचन्द पुत्र पानाचन्द
4. कमलाबाई पत्नी पानाचन्द जाति धाकड़ निवासी गोवर्धनपुरा तह. छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता लहासी परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड छबड़ा जिला बारां
2. कालूलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ निवासी गोवर्धनपुरा छीपाबड़ौद
3. पटवारी पटवार हल्का गोवर्धनपुरा तह. छीपाबड़ौद
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

दावा अन्तर्गत धारा 188 RTA
निर्णय दिनांक :- 4.9.18

प्रार्थीगण वादी द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्याया. में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख.नं. 226 रकबा 2.09 बीघा, ख.नं. 1049/228 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 1054/254 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 1055/225 रकबा 05 बिस्वा किता 4 रकबा 6.04 बीघा मौजा गोवर्धनपुरा तह. छीपाबड़ौद में स्थित है जो वादीगण की खातेदारी के दर्ज चली आ रही थी। उक्त आराजीयात में से ख.नं. 226 रकबा

लगातार - 2

Scanned by CamScanner

2.09 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी द्वारा लहरा सिंचाई परियोजना की नहर हेतु अधिग्रहण किया गया है तथा 12 बिस्वा भूमि का मुआवजा वादीगण को अदा कर दिया। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की आराजी ख.नं. 1049/228 रकबा 3 बीघा में से एक इंच भूमि का भी अधिग्रहण नहीं किया गया है और न ही उक्त आराजी का वादीगण को मुआवजा का भुगतान किया गया है लेकिन प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादीगण की आराजी ख.नं. 1049/228 रकबा 3 बीघा में से लगभग 07 बिस्वा भूमि पर जबरन नहर की खुदाई कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा ख.नं. 228 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से 07 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसके मुआवजे का भुगतान ख.नं. 228 के खातेदार कालू वल्द नाथूलाल धाकड़ नि.-देई को किया गया है जबकि मौके पर वादीगण की भूमि पर नहर खोदने का प्रयास किया जा रहा है

वादीगण ने प्रतिवादी के नुमाइन्दों से निवेदन किया कि वादीगण की आराजी ख.नं. 1049/228 रकबा 3 बीघा में से एक इंच भूमि का भी अधिग्रहण नहीं हुआ इसलिए उक्त आराजी में होकर नहर की खुदाई मत करो तो प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी नहीं मान रहे हैं तथा उन्होंने वादीगण को धमकी दी है कि वे वादीगण की आराजी ख.नं. 1049/228 में होकर ही नहर की खुदाई करेंगे। यदि प्रतिवादी या उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादीगण की भूमि ख.नं. 1049/228 को बिना अधिग्रहण किये और बिना मुआवजे का भुगतान किये नहर की खुदाई कर दी तो वादीगण की भूमि का बिना मुआवजे का भुगतान किये ही अधिग्रहण हो जावेगा तथा वादीगण को अपरिमित हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी तथा वादीगण को व्यर्थ में ही मुकदमा बाजी में उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति उठानी पड़ेगी तथा कभी न खत्म होने वाले मुकदमें बाजी का सिलसिला चल जावेगा। वाद कारण दिनांक 2.01.2018 को जब प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादीगण की भूमि ख.नं. 1049/228 में से 07 बिस्वा भूमि पर नहर खुदाई हेतु मार्किंग की तब वादीगण ने प्रतिवादी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से निवेदन किया कि वादीगण की खसरा नम्बर 1049/228 की भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया। इसलिए आप इस आराजी में होकर नहर की खुदाई नहीं कर सकते हो लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिवादी व उसके अधीनस्थ कर्मचारी नहीं मान

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

के खाते से खारिज कर ख.नं. 1049/228 रकबा 07 बीघा भूमि को सिवाई किस्म के खाते दर्ज करने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा संवत 2070-73 खाता नं. 33 के ख.नं. 228 रकबा 1.11 बीघा कालूलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ का नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा संवत 2070-73 खाता नं. 135 के अनुसार नीरमचन्द, ईश्वरचन्द, दुलीचन्द पुत्र पानाचन्द, मन्नाबाई बेवा पानाचन्द जाति महाजन दर्ज होना पाया जाता है प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा। प्रार्थना पत्र के अनुसार ख.नं. 1049/228 रकबा 07 बीघा भूमि से होकर रास्ता निकलना बताया है परन्तु ख.नं. 228 रकबा 07 बीघा भूमि अधिग्रहण की जाना बताया है पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण अप्रार्थी क्र. 2 द्वारा प्राप्त मुआवजा राशि अप्रार्थी क्र. 1 को जमा करा दी गई है वह उक्त खाते की भूमि को सिवाई किस्म के खाते से खारिज कर अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। तथा प्रार्थी गण द्वारा ख.नं. 1049/228 रकबा 07 बीघा भूमि सिवाई किस्म के खाते दर्ज कराने व मुआवजा राशि का भुगतान करने के बाद खाते दर्ज करने की रजामंदी प्रकट की है अतः वादी का वाद आपसी राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

निर्णायक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद आपसी राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा के ख.नं. 228 रकबा 07 बीघा भूमि सिवाई किस्म के खाते से खारिज कर अप्रार्थी क्र.2 कालूलाल पुत्र नाथूलाल धाकड़ के खाते दर्ज की जाकर तथा ख.नं. 1049/228 रकबा 07 बीघा भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान वादीगण को प्राप्त होने के बाद सिवाई किस्म के खाते दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है तदनुरूप डिक्री पत्र जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हरिवल्लभ नागर)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

		निर्णय दिनांक 5.9.18
वाद संख्या 5/18	धारा अंतर्गत 188 RTA	
समक्ष - श्री हीरालाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति – अभिभाषक वादी	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1. [illegible] पुत्र पानाचन्द 2. [illegible] पुत्र पानाचन्द
3. [illegible] पुत्र पानाचन्द 4. [illegible] पत्नी पानाचन्द
जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा तह. छीपाबड़ौद

बनाम

1. [illegible] परियोजना जल [illegible] छबड़ा
2. कालूलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ नि. गोरधनपुरा तह. छीपाबड़ौद
2. कालूलाल पुत्र नाथूलाल हल्का गोरधनपुरा तह. छीपाबड़ौद
3. पटवारी पटवार हल्का गोरधनपुरा तह. छीपाबड़ौद
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि वादी गण का वाद आपसी समझौते के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित [illegible] ग्राम गोरधनपुरा [illegible] के खसरा नं. 228 रकबा 07 बिस्वा भूमि सिंचाई [illegible] के खाते के स्थान पर [illegible] कालूलाल पुत्र नाथूलाल धाकड़ के खाते [illegible] 1049/228 रकबा 07 बिस्वा भूमि को दर्ज की जाकर तथा [illegible] मुआवजा राशि का भुगतान वादी गण को प्राप्त होने के बाद [illegible] के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते हैं।

.... रु0 का व्यायानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए

साक्षी निर्णयानुसार ....

आज आदेश हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 5.9.18 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

व्यायानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner